संख्याःपीसीएच.एचए(1)11/2010 -25624-726
हिमाचल प्रदेश सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

सेवा में

1. समस्त परियोजना अधिकारी,
   जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
   हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त जिला पंचायत अधिकारी,
   हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
   हिमाचल प्रदेश।

दिनांक **शिमला–9** 09/10 अप्रैल, 2019

विषयः– खण्ड स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों के सन्दर्भ में खण्ड विकास अधिकारियों के नियन्त्रण बारे दिशा–निर्देश।

महोदय / महोदया,

खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज दोनों विभागों के सभी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। परन्तु यह देखने में आया है कि इस विषय में दिशा–निर्देशों में पूर्ण स्पष्टता न होने के कारण कुछ व्यवहारिक कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं। अतः इस विभाग के पत्र संख्याः पीसीएच–एचबी(15)1/2015 दिनांक 30.01.2016 तथा दिनांक 15.9.2015 का अधिक्रमण करते हुए विभागीय कर्मियों के नियंत्रण के सम्बन्ध में निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं:

1. कर्मचारियों का नियन्त्रण एवं कार्यालय व्यवस्था

1.1 खण्ड स्तर व ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारी, चाहे वे ग्रामीण विकास विभाग के हों या पंचायती राज विभाग के या पंचायती राज संस्थाओं के, खण्ड विकास अधिकारी के पूर्ण नियन्त्रण में कार्य करेंगे।

1.2 खण्ड व पंचायत स्तर पर कार्यरत ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग तथा पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन वितरण सम्बन्धी दिशा–निर्देश पत्र संख्याःपीसीएच–एचसी(10)12/2019–अनु. एसएफसी–20221–302 दिनांक 30.03.2019 द्वारा जारी कर दिये गये हैं। उनकी अनुपालना सुनिश्चित करें।

1.3 खण्ड व पंचायत स्तर पर कार्यरत ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग व पंचायती राज संस्थाओं के सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का रख–रखाव एवं संधारण विकास खण्ड कार्यालय में कार्यरत लिपिकीय कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा। पंचायत समिति के लेखों का संधारण विकास खण्ड के लेखापाल द्वारा ऑनलाईन प्रिया साफट के माध्यम से किया जायेगा। पंचायत निरीक्षक व उप निरीक्षक के द्वारा ग्राम पंचायतों के निरीक्षण के लक्ष्यों और पंचायत पदाधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्व निदेशालय/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा सौंपी गई जांच इत्यादि को निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण करवाने का दायित्व खण्ड विकास अधिकारी का होगा। जिला पंचायत अधिकारी द्वारा खण्ड विकास अधिकारियों को जांच उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से सौंपी जायेगी जिसकी प्रगति की समीक्षा उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा मासिक बैठकों में की जाएगी।

1.4 पंचायत निरीक्षक तथा उप निरीक्षक का आकस्मिक/वैकल्पिक अवकाश तथा 15 दिन तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत करने हेतु खण्ड विकास अधिकारी को अधिकृत किया जाता है। स्वीकृत अवकाश की सूचना जिला पंचायत अधिकारी को दी जायेगी।

1.5 खण्ड तथा पंचायत स्तर पर कार्यरत ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग तथा पंचायती राज संस्थाओं के समस्त कर्मचारी जिनमें अधीक्षक, लेखापाल, समाज शिक्षा एवं खण्ड योजना अधिकारी, पंचायत निरीक्षक, पंचायत उप निरीक्षक, कनिष्ठ अभियन्ता, लिपिक वर्ग तथा पंचायत सचिव इत्यादि सम्मिलित हैं, की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के लिए खण्ड विकास

अधिकारी रिपोर्टिंग अधिकारी होंगे। ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिर्पोट पर उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा पंचायती राज विभाग एवं पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पर जिला पंचायत अधिकारी अपनी टिप्पणी प्रदान करेंगे। इन वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस के लिए उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पुनःनिरीक्षण अधिकारी होगें।

1.6 खण्ड या पंचायत स्तर पर कार्यरत ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग व पंचायती राज संस्थाओं के सभी कर्मचारी किसी भी बैठक, प्रशिक्षण अथवा अन्य किसी भी कारण से खण्ड विकास अधिकारी की अनुमति के बिना अपने कार्यक्षेत्र/विकास खण्ड से बाहर नहीं जायेंगे। किसी भी प्रशिक्षण, बैठक या एक्सपोजर विजिट के लिए विकास खण्ड या पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा।

1.7 खण्ड विकास अधिकारी अपनी मासिक बैठक में ग्रामीण विकास विभाग वं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित सभी कार्यो की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा मासिक रिर्पोट अतिरिक्त उपायुक्त, उप निदेशक परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा जिला पंचायत अधिकारी को प्रेषित करेंगे। उप निदेशक परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा जिला पंचायत अधिकारी, उपायुक्त /अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षा में होने वाली खण्ड विकास अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक के लिए क्रमशः ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग का एजैडा तैयार करेंगे।

1.8 जिला पंचायत अधिकारी, खण्ड स्तर व पंचायत स्तर पर कार्यरत सभी कर्मचारियों से खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से ही पत्राचार करेंगे। खण्ड विकास अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से सूचना तैयार करवाकर निर्धारित अवधि में जिला पंचायत अधिकारी को उपलब्ध करवाना

सुनिशिचित करेंगे। विशेष परिस्थितियों में जैसे न्यायालय के मामले या विधानसभा के मामले, अंकेक्षण आपतियों, पंचायत पदाधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्व अनुशासत्मक कार्यवाही अथवा अन्य आपात स्थिती में जिला पंचायत अधिकारी से पत्राचार/सूचना प्राप्त होने पर खण्ड विकास अधिकारी त्वरित कार्यवाही करेंगे।

अतः इन निर्देशों का अक्षःरश अनुपालना करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राकेश कंवर, भा0प्र0से0)
निदेशक एवं विशेष सचिव (ग्प्र0वि0एवंप0रा0)
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9

पृष्ठांकन संख्या 25727-54 उपरोक्त दिनांक 09/10 अप्रैल,2019
प्रतिलिपि प्रेषित हैः–

1. समस्त उपायुक्त/अति0उपायुक्त/को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अतिरिक्त निदेशक,गामीण विकास विभाग/अतिरिक्त निदेशक, पंचायती राज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. सम्बन्धित शाखा अधिकारी ग्रा0वि0 एवं पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. गार्ड फाईल।

निदेशक एवं विशेष सचिव (ग्प्र0वि0एवंप0रा0)
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9